[श्री राम बिलास पासवान]

नहीं किया जायगा किन्तु इस बात का क्या विश्वास है कि जब जनरल हक काश्मीर को विश्व की एक समस्या मानते हैं तो वह उसे हल करने के लिए भारत के विरुद्ध हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे

में भारत सरकार से जानना चाहता हं कि इस विषय में क्या किया जा रहा है और क्या विदेश मंत्री ने पाकिस्तान से इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा है।

(iii) SPREADING OF JAUNDICE IN PATNA and Aramgarh 8 3 3

श्री रामावतार शास्त्री (पटना): ग्रध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के ग्रधीन निम्नलिखित विषय की ग्रोर सरकार का ध्यान ग्राकृष्ट करना चाहता हं:

बिहार की राजधानी पटना भीर उत्तर प्रदेश के ग्राजमगढ जनपद में पीलिया रोग का प्रकोप-

बिहार की राजधानी पटना के सब से बड़े ब्रावासीय उप-नगर कंकड़बाग में रहने वाला हर पांचवां व्यक्ति पीलिया रोग का शिकार है। उस क्षेत्र की ग्राबादी हजारों की है । ग्रतः स्थिति की भयंकरता का ग्रन्मान ग्रासानी के साथ लगाया जा सकता है।

पत्नकारों के एक दल द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार नम्ने के तौर पर जिन 39 परिवारों से उन्होंने पूछताछ की उन में 30 परिवारों में पीलिया के रोगी पाये गये । एक परिवार में चार चार व्यक्ति तक पीलिया से ग्रस्त देख गये। लोगों में भयंकर ग्रातंक है।

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में भी पीलिया रोग का भयंकर प्रकीप है। दस हजार से अधिक लोग इस घातक बीमारी से ग्रस्त हैं। खबर है कि पांच सौ से ग्रधिक रोगियों की मृत्य हो चुकी है।

(iv) SILENT VALLEY PROJECT SCHEME IN KERALA.

SHRI K. A. RAJAN (Trichur): I beg to mention the following matter of public importance under Rule 377:

One of the most important Hydro Electric Project Scheme in Kerala, called 'The Silent Valley Project Scheme' is at a standstill because of the stay ordered by the Governor of Kerala on the eve of Kerala Election.

The earlier Government of Kerala had already invested nearly two crores

of rupees and already under a statute all protective measures were taken to see that any ecological imbalance should not occur.

Sir, my only submission is that this deadlock over the project must be put an end to in the best interest of the Kerala State and the project may be given clearance.

(v) PURCHASE OF ONIONS BY NAFED IN MAHARASHTRA.

RAM SHRI KRISHNA MORE (Khed): I beg to mention the following matter of public importance under Rule 377:

The policy following by NAFED in Maharashtra regarding purchase of onions from agriculturists has resulted in great injustice to agriculturists and consumers. While the agriculturists do not get remunerative price, the consumer has to pay about Rs. 3 per kg. for onions. The benefit of this policy goes only to the middle men wha are exploiting both the agriculturists and the consumers. It is, herefore necessary to give proper directions to NEFED to amend its policy in such a way that it will benefit both agriculturists and the consumer.

(vi) NEED TO INCREASE QUOTA OF DIESEL, KEROSENE OIL AND COAL FOR UTTAR PRADESH.

श्री हरिकेश बहाद्र (गोरखपुर): सध्यक्ष महोदय मैं ग्राप की ग्रनमति से नियम 377 के ग्रधीन निम्नल-खत विषय की ग्रीर सरकार का ध्यान ग्राक्ट करना चाहता हं :

हमारे देश में डीजल, मिट्टी के तेल घीर कोयले का ग्रभाव पिछले कई कहीनों से चल रहा है जिस के कारण उत्तर प्रदेश में लोगों के दैनिक जीवन पर गहरा प्रभाव पढ़ा है। इन दिनों उत्तर प्रदेश में लोगों की इन कठिनाइयों के बढ़ने की आशंका है।

ग्रतः मैं केन्द्रीय सरकार से यह धनुरोध करना चाहता हं कि उत्तर प्रदेश को डीजल, मिट्टी का तेल भीर कोयले का जो कोटा इस समय दिया जा रहा है उस में युद्धि की जाय तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित वितरण व्यवस्था जो पूर्णतः दोषपूर्ण है, को सुधारने के लिए उचित प्रयास किये जायें ।